

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

मानू/पी एवं डी/एफ.104/2022-23/02

18.04.2022

कार्यालय आदेश

- विषय- यू.जी.सी. योजनाओं को दिनांक 31.03.2023 तक जारी रखने के संबंध में।
संदर्भ- 1. यू.जी.सी. सार्वजनिक सूचना सं.एफ.1-8/2016(सीपीपी-II) दिनांक 07.04.2022
2. दिनांक 18.04.2022 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उपरोक्त संदर्भ 1 में उद्धृत यू.जी.सी. सार्वजनिक सूचना द्वारा यूजीसी की योजनाओं को 31.03.2023 तक जारी रखने के लिए आयोग के निर्णय से अवगत किया है।

2. तदनुसार, मानू के अंतर्गत निम्नलिखित मौजूदा यू.जी.सी. योजनाएं 31.03.2022 से आगे एवं 31.03.2023 तक तथा यू.जी.सी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ जारी रहेंगी:-

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्कार एवं समावेश नीति अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना
2.	महिला अध्ययन केन्द्र
3.	समान अवसर प्रकोष्ठ (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग योजनाएँ) i) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग। (ii) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएँ (iii) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं राज्य पात्रता परीक्षा की कोचिंग।
4.	मानव संसाधन विकास केन्द्र
5.	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क :- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक व्यावसायिक(बी-वोक) पाठ्यक्रम की शुरुआत।

विषय को अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में सूचित किया जाएगा।

कुलसचिव

प्रति-

1. प्रभारी निदेशक, एसीएसएसईआईपी
2. प्रभारी निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र
3. निदेशक, एचआरडीसी
4. संयुक्त कुलसचिव (यूजीसी योजनाएं)
5. समन्वयक, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग।
6. समन्वयक, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएँ
7. समन्वयक, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर-नवोन्नत वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं राज्य पात्रता परीक्षा की कोचिंग।
8. समन्वयक, बी-वोक
9. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
10. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/शैक्षणिक/पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय
11. ई.आर-1 /ई.आर-2 अनुभाग से अनुरोध है कि संबंधित योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त सभी कर्मचारियों को सूचित करें।
12. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु